

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

जगदीश चौरा  
सम्मकेशोर बटोर

बनाम

सुखपाल  
राजवीर वर्गे

2025/11


मुकदमा- प्रार्थना पत्र 212

मु 0 न.0 12 सन् 2025 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र पेश हुआ। वादी की ओर से राधेश्याम कनवा एडवोकेट उपस्थित। कैवियट कर्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से श्री श्रवण कुमार शर्मा व अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से श्री राजू सैनी एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर शेष अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते तामील दिनांक 31.01.2025 को पेश हो।


  
(मुकेश चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीम का थाना

31/1/25

पत्रावली पेश हुई। अभिसापक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/2/25 को पेश हो।

28/3/25 पत्रावली पेश हुयी। कसूरवाक 3681 P.O. साहब डीग (मूठ) में वास्तु ए पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/4/25 को पेश हो।

7/4/25 पत्रावली पेश हुयी। जर्नी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार इन्वाक लगावली गयी। इन्वाक लगावने के उपरान्त भी जर्नी की अग्रेसे कोई उपस्थित नही हुना। इतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इन्वाक विषयका अउर एजरी अउर प्रेवकी के खाली विषय जाता है। पत्रावली के तलब सुमर होकर रजिस्टर्ड सन् होकर इन्वाक दाखिल हो।

  
राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)